संख्या-779/2025/797/22-2-2023-17(165)/2010

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-9148/प्रोबे0-5/दया0/के0का0आगरा-409, दिनांक 17.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेन्द्र पुत्र श्री दाताराम, ग्राम-सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से फायर करके 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.03.2022 तक 18 वर्ष 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुन: अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (04 व्यक्तियों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-9762) पुत्र श्री दाताराम, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

up.gov.in

संख्या-779/2025/797(1)/22-2-2023-17(165)/2010तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।